पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगजन संस्थान
4, विष्णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्ली–110002
फोन नं.– 23232403, 23233678, फैक्स नं.–23239690

रूचि की अभिव्यक्ति
ईओआई सं. ईओआई/पीडीयूआईपीएच/2015/3

सुगम्यता परीक्षकों से ''रूचि की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित करना

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों सहित सभी नागरिकों के लिए, सार्वभौमिक सुगम्यता सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान के तौर पर **''सुगम्य भारत अभियान''** की शुरूआत की गई है।

राष्ट्रव्यापी सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत, सुगम्य सरकारी भवनों के अनुपात को बढ़ाने के उददेश्य के अंतर्गत, एक लक्ष्य देश के 50 शहरों में अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का सुगम्यता परीक्षण आयोजित करना और उन्हें पूर्णतः सुगम्य भवनों में परिवर्तित करना है। सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए सुगम्यता परीक्षण महत्वपूर्ण माध्यम है और इनके द्वारा आयोजना, डिजाइन, निर्माण, अनुरक्षण तथा निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया के सभी चरणों को कवर करना अपेक्षित है। विभाग के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय संस्थान है, जो सुगम्य भारत अभियान के उददेश्यों के अनुसार अपने पैनलबद्ध सुगम्यता परीक्षकों के माध्यम से सुगम्यता परीक्षण आयोजित करने हेतु विभाग का नोडल संगठन है।

इस संबंध में पीडीयूआईपीएच ने देशभर से, पर्याप्त अनुभव तथा विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित और अनुभवी एनजीओ/व्यक्तियों/पंजीकृत सोसाइटीओं/न्यासों से ''रूचि की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित की है ताकि अधिकांश महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का सुगम्यता परीक्षण आयोजित करने के लिए सुगम्यता परीक्षकों को पैनलबद्ध किया जा सके और समयबद्ध तरीके से उन्हें पूर्णतः सुगम्य भवनों में परिवर्तित करने हेतु कार्य योजना तैयार की जा सके और पीईआरटी चार्ट के माध्यम इनकी निगरानी की जा सके।

चूंकि सुगम्यता परीक्षण हेतु विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में संगठन पैनलबद्ध नहीं है, विभाग सुगम्यता परीक्षण आयोजित करने हेतु पात्र संगठनों से ''रूचि की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित करता है।

सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सुगम्यता परीक्षकों के चयन हेतु पात्रता मानदंड इस प्रकार है–

(i) सुगम्यता परीक्षण आयोजित करने का न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव तथा विशेषज्ञता।

(ii) कम से कम पांच सरकारी भवनों/सार्वजनिक अधोसंरचना में सुगम्यता परीक्षण आयोजित करने का अनुभव तथा विशेषज्ञता।

(iii) विकलांगता के क्षेत्र में अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति/संगठन ही पात्र हैं। संगठन के मामले में विकलांगता क्षेत्र में पंजीकृत संगठन के रूप में न्यूनतम तीन वर्षों से कार्यरत होना अनिवार्य है।

घटक वार सुगम्यता परीक्षण दरें विभाग की वैबसाइट –www.disabilityaffairs.gov.in पर – Accessibility India Campaign लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

देशभर से, पर्याप्त अनुभव तथा विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित और अनुभवी एनजीओ/व्यक्तियों/पंजीकृत सोसाइटीओं/न्यासों से ''रूचि की अभिव्यक्ति'' पुनः आमंत्रित की है। वे अपने आवेदन अपने विस्तृत अनुभव और विशेषज्ञता के साथ अपेक्षित कागजातों सहित, निम्नलिखित पते पर 01 जनवरी, 2016 से पहले भेज सकते हैं–

निदेशक
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगजन संस्थान
4, विष्णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्ली–110002
ई–मेलः diriph@nic.in